# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष– आशीष, श्रीवास्तव,**
**सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 1882–तीन/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 28–2–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रहली जिला सागर के अपील प्रकरण कमांक 59/अ–6/11–12.

1 राजेन्द्र कुमार
2 प्रमोद कुमार
दोनों तनय रामशरण नायक
निवासी वार्ड नंबर 13 रहली, तहसील रहली
जिला सागर म0 प्र0

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

जय प्रकाश तनय रामशरण नायक
निवासी वार्ड कमांक 13 रहली तहसील रहली,
जिला सागर म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री नवीन कुमार पाराशर, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1882–तीन/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, रहली जिला सागर के प्रकरण कमांक 59/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 28–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगराकार कमांक 1 राजेन्द्र कुमार द्वारा पिता रामशरण द्वारा दिनांक 5–8–99 को की गई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ग्राम कुमरई प0ह0न0 37 तहसील गढाकोटा स्थित भूमि खसरा नंबर 77 रकबा 2.56 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 94 रकबा 0.66 हैक्टेयर की भूमि हेतु तहसीलदार के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा संशोधन पंजी वर्ष 99–2000 की प्रविष्टि कमांक 20 पर आदेश दिनांक 7–6–2000 से नामांतरण स्वीकृत किया गया । इस आदेश से परिवेदित होकर गैर निगराकार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 59/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 28–2–14 द्वारा अपील समय सीमा में मान्य कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ मेरे द्वारा प्रकरण में आवेदकगण अधिवक्ता के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया गया। अनावेदक अधिवक्ता पुकार उपरान्त अनुपस्थित रहे । उनके पक्ष के बिन्दु अभिलेख में देखे जा रहे हैं । अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 28–2–14 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस आदेश से, समुचित कारण एवं आधार अभिलिखित करते हुए, केवल विलंब माफ करके प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया है । अभी उभयपक्ष को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है और आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हुए हों या होने संभावित हो गए हों, ऐसा नहीं माना जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश एक स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश है,

जो न्यायोचित है और न्यायहित में पारित किया गया है । उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः उसे यथावत रखा जाता है और यह निगरानी अस्वीकार करके समाप्त की जाती है ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

2.3.16

**(आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**
**राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश**
**ग्वालियर**